वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 19.12.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",दैनिक जागरण, अमर उजाला, आज, हिन्दुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश, तरुणमित्र न्यूज़,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 19.12.2024

रामनगर किला से घाट तक सड़क की बनेगी नई डिजाइन

समीक्षा बैठक में वीडीए के सचिव ने लिया निर्णय, डिजाइन बनाने में जाम की समस्या का रखा जाएगा ध्यान

जागरण संवाददाता, वाराणसी : रामनगर किला से लेकर घाट तक की सड़क के सुंदरीकरण के लिए उसकी डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। पहले की डिजाइन से अलग नई डिजाइन तैयार की जाएगी जिसके सड़क ज्यादा आकर्षक लग सके। डिजाइन बनाने में सड़क पर यातायात को भी ध्यान में रखा जाएगा। यह निर्णय बुधवार को विकास प्राधिकरण सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

बैठक में उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान अस्सी से रविदास पार्क तक की सड़क की डिजाइन कराए जाने पर चर्चा हुई। शहर की सड़कों को खूबसूरत बनाने के लिए डिजाइन तैयार करने की प्रतियोगिता में शहर के लोगों को शामिल किया जाए। उन्होंने उंदी ताल पर चल रहे विकास कार्य की भी समीक्षा की साथ ही सुझाव भी मांगे गए।

बैठक में अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, संयुक्त सचिव परमानंद यादव, अधिक्षण अभियंता अजय पवार, नगर नियोजक प्रभात कुमार मौजूद थे। रामनगर में बड़ी संख्या में पर्यटकों का आना होता है। वह किला घूमने के साथ घाटों की ओर भी जाते हैं। इसलिए घाटों को बेहद सुंदर बनाया जा रहा है। इस ओर जाने वाली सड़क सुंदर दिखे इसके लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण उसके लिए डिजाइन तैयार कर रहा है।

सामने घाट पुल से जुड़ी सड़क पर आए दिन जाम लगता है जिसमें फंसकर लोग परेशान होते हैं। यहां लगने वाले जाम का असर पुल से लेकर सामने घाट तक होता है। पुलिस कमिश्नर ने रामनगर का निरीक्षण करके जाम की समस्या की वजह तलाशने और उसे दूर करने का उपाय करने को कहा था।

प्राधिकरण सचिव ने उंदी ताल पर चल रहे विकास कार्य की समीक्षा के साथ ही मांगे सुझाव

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 19.12.2024

असि नदी के पुनर्जीवन को 12 स्थानों से हटेगा कूड़ा

- आइआइटी बीएचयू के विज्ञानियों ने कूड़े वाले स्थान चिह्नित किए, प्रशासन को भेजी रिपोर्ट
- उद्‌गम स्थलों की सफाई होगी, वीडीए के साथ कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं विशेषज्ञ

जागरण संवाददाता, वाराणसी : असि नदी के पुनर्जीवन के प्रयास शुरू हो चुके हैं। आइआइटी बीएचयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने उद्गम स्थलों की सफाई का प्रस्ताव वीडीए को भेजा है। नदी में कूड़े के ढेर बन चुके 12 स्थान भी चिह्नित किए हैं, इनकी सफाई के लिए वृहद अभियान शुरू होगा। इस प्राचीन नदी के उद्गम स्थल के चार तालाबों कर्दमेश्वर महादेव मंदिर तालाब, कर्दमेश्वर तालाब, कंदवा तालाब और कंचनपुर तालाब की सफाई व जीर्णोद्धार की योजना बनी है। यहां पर तीन मीटर मोटी गाद जम चुकी है, इसकी सफाई होने के बाद पानी का प्रवाह होने लगेगा। इसके अलावा गहरीकरण, पौधारोपण व अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

बता दें कि चार दशक पहले जिस नदी के पानी से लोग आचमन करते थे, वर्तमान समय में वहां से गुजरना भी मुश्किल है। करीब आठ किलोमीटर दूरी तक बहने वाली यह नदी कंदवा से चितईपुर, करौंदी, करमजीतपुर, नेवादा और साकेत नगर नगवां से गुजरते हुए गंगा में मिलती है। इसकी चौड़ाई कभी 200 मीटर से अधिक हुआ करती थी लेकिन अब अतिक्रमण की वजह से सिर्फ आठ फीट रह गई है।

> वीडीए के साथ बैठक के दौरान असि नदी के पुनर्जीवन की योजना पर सहमति बन चुकी है। बहुत जल्द ही धरातल पर कार्य शुरू हो जाएगा। चार तालाबों और कूड़ों की सफाई करने के लिए कहा गया है।
>
> – प्रो. प्रभात कुमार सिंह, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आइआइटी बीएचयू

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 19.12.2024

घाटों तक सुंदरीकरण पर वीडीए का जोर

VARANASI (18 Dec): वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) की समीक्षा बैठक सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में रामनगर सड़क और अस्सी से रविदास पार्क स्ट्रीट के पुन: डिज़ाइन, किराये की सम्पत्तियों के लिए पावर बीआई मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, और रामनगर में किला से लेकर घाट तक के सुंदरीकरण कार्यों की समीक्षा की गई. इस दौरान सचिव डॉ. मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और सुझाव मांगे. बैठक में अपर सचिव गुडाकेश शर्मा, सयुक्त सचिव परमानन्द यादव, अधिक्षण अभियंता अजय पवार और नगर नियोजक प्रभात कुमार भी उपस्थित थे.

अमर उजाला–दि0 19.12.2024

अवैध प्लॉटिंग कराएं ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा ने बुधवार को वीडीए में लंबित शमन मानचित्रों की समीक्षा की। शहर में हो रहे अनियोजित विकास और अवैध प्लॉटिंग को चिन्हित कर नियमानुसार ध्वस्तीकरण करने को कहा। वहीं, वीडीए की ओर से बुधवार को पांच अवैध निर्माण सील किए गए। नगवां वार्ड के राजेंद्र विहार कॉलोनी नेवादा में अजय तिवारी और अन्य की ओर से बगैर नक्शा पास कराए हो रहे अवैध निर्माण को सील किया। भेलूपुर वार्ड में राजीव झा, जयदीप चक्रवर्ती की दो दुकानों के अवैध निर्माण को सील किया। वहीं, शिवपुर वार्ड में दांदूपुर गरुड़ लॉन के बगल में बीना सिंह को नोटिस देने के बावजूद जारी अवैध निर्माण सील कर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया। ब्यूरो

शिवपुर में कार्रवाई करती टीम। स्वयं

अमर उजाला–दि0 19.12.2024

डिजाइन प्रतियोगिता में जनता को भी करें शामिल

वाराणसी। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा की अध्यक्षता में बुधवार को वीडीए में विकास कार्यों की बैठक हुई। वीडीए सचिव ने कंसल्टेंट एजेंसी से कहा कि सड़कों की डिजाइन प्रतियोगिता में आम नागरिकों को भी शामिल करें। बेहतर डिजाइन को चुनकर उसी के अनुसार कार्य कराया जाए। उन्होंने कहा कि रामनगर सड़क और अस्सी से रविदास पार्क की स्ट्रीट की दोबारा डिजाइन बनाई जाए। रामनगर में किले से लेकर घाट तक सुंदरीकरण के लिए जारी विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 19.12.2024

निर्माण से पूर्व नक्शा पास कराना जरूरी

वाराणसी। वीडीए सीमा के तहत छोटे या बड़े भूखंड पर किसी भी प्रकार का निर्माण कराने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी है। शहर के भीतर छोटे छोटे प्लॉट मालिकों की ओर से चार-पांच मंजिला मकान बना दिया जा रहा है। जिससे दिक्कत आ रही है। वीडीए बोर्ड में भी यह मुद्दा उठा था। उस दौरान वीडीए के अधिकारियों ने साफ किया कि छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का निर्माण कराने से पूर्व वीडीए से नक्शा पास कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। पहले नोटिस दिया जाता है। इसके बाद शमन न कराने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग की ओर से सभी जोनल अधिकारियों को हिदायत दी गई। कई अवैध निर्माणों को सील करने और अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराने की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो

आज–दि0 19.12.2024

भेलूपुर वार्ड में तीन नवनिर्मित भवन सील

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर वार्ड नगवां के राजेन्द्र बिहार कालोनी में नेवादा, लेन नम्बर छह में भवनस्वामी अजय तिवारी बिना मानचित्र स्वीकृत कराये निर्माण कर रहे थे। वहीं भेलूपुर भवन संख्या बी १०/१२५ में राजीव झा नामक भवनस्वामी भी बिना मानचित्र स्वीकृत के भवन निर्माण करा रहे थे, जबकि इसी वार्ड में भेलूपुर थाने के पास सौ वर्ग फिट में भवनस्वामी जयदिप चक्रवर्ती दो दुकानों का निर्माण करा रहे थे, इन्होंने भी व्यवयिक भवन निर्माण के लिए विप्रा से मानचित्र की स्वीकृत नहीं करायी थी। मौके पर पहुंचे जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता सोनू कुमार, भेलूपुर थाने की पुलिस के सहयोग से तीनों भवनों के निर्माण कार्य को सील कर दिया गया, इसके बाद अवर अभियंता ने भेलूपुर थाने के अभिरक्षा में तीनों भवनों का सौंप दिया।

हिन्दुस्तान–दि0 19.12.2024

वीडीए ने चार अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए ने विभिन्न इलाकों बुधवार को अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। नगवां वार्ड की राजेन्द्र विहार कॉलोनी में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण पर भवन सील किया गया। भेलूपुर में 1520 वर्गफीट में बिना नक्शा पास कराए हो रहे भगदन निर्माण और 100 वर्गफीट क्षेत्रफल में 2 दुकानों का निर्माण सील किया गया। शिवपुर में दांदूपुर में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये तीन मंजिला भवन निर्माण पर कार्यवाही करते हुए सील किया गया।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 19.12.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण के विरुद्ध की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड-नगवां, राजेन्द्र विहार कालोनी, नेवादा, लेन नं0-6 में अजय तिवारी एवं अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 1250 वर्ग फीट में भूतल पर अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे आज दिनांक 18/12/2024 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया। वार्ड-भेलूपुर, भवन संख्या बी-10/125 में में राजीव झा द्वारा 1520 वर्गफीट बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे आज दिनांक 18/12/2024 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया। वार्ड-भेलूपुर, में जयदीप चक्रवती द्वारा भेलूपुर थाने के पास 100 वर्गफीट के क्षेत्रफल में 02 दुकानों का निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे आज दिनांक 18/12/2024 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया। जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता सोनू कुमार उपस्थित रहें। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 19.12.2024

वाराणसी विकास प्राधिकरण के अपर सचिव ने की समीक्षा बैठक

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र

मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 08.12.2024 से 14.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 6,50,487.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,92,68,827.00 जमा करायी गयी है एवं जोन-2, के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में दिनांक 08.12.2024 से दिनांक 14.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-16,48,353.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,63,23,831.00 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया।सील प्रकरणों की जाँच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौपें गये कार्यों के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता, श्री विजय

न्यायाधीश–दि0 19.12.2024

वाविप्रा जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने अवैध निर्माण किया सील

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।जिसके तहत वार्ड-नगवां, राजेन्द्र विहार कालोनी, नेवादा, लेन नं0-6 में अजय तिवारी एवं अन्य द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए लगभग 1250 वर्ग फीट में भूतल पर अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे 18/12/2024 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया। वार्ड-भेलूपुर भवन संख्या बी-10/125 में में राजीव झा द्वारा 1520 वर्गफीट बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे 18/12/2024 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया।वार्ड-भेलूपुर, में जयदीप चक्रवती द्वारा भेलूपुर थाने के पास 100 वर्गफीट के क्षेत्रफल में 02 दुकानों का निर्माण कार्य बिना मानचित्र स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया जा रहा था जिसे 18/12/2024 को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा के अंतर्गत सील किया गया ।इस मौके पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता सोनू कुमार उपस्थित रहें ।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 19.12.2024

अपर सचिव वाविप्रा द्वारा की गई जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक

बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण के लिए दिया गया निर्देश

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देशों के क्रम में 18.12.2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी के सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ0 गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गयी, समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानचित्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानचित्र निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया। जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 08.12.2024 से 14.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0 6,50,487.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,92,68,827.00 जमा करायी गयी है एवं जोन-2, के वार्ड-सारनाथ, जैतपुरा, आदमपुर एवं विन्यास में दिनांक 08.12.2024 से दिनांक 14.12.2024 तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू0-16,48,353.00 जमा कराया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू0-6,63,23,831.00 जमा करायी गयी है। स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया गया। सील प्रकरणों की जॉच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु निर्देश दिया गया है एवं सचेत किया गया कि विलम्बतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया जाय। शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही बैठक में अपर सचिव द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि सौंपे गये कार्यो के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा। उक्त समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी, श्री सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियन्ता, श्री विजय सिंह, भवन लिपिक, श्रीमती किरन सिंह एवं जोन-2 के जोनल अधिकारी, श्री संजीव कुमार एवं अवर अभियन्ता, श्री विनोद कुमार, अवर अभियन्ता, सुश्री वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक, श्री रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित रहे।

न्यायाधीश–दि0 19.12.2024

जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही की गई

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।18.12.2024 वार्ड- शिवपुर के अन्तर्गत बीना सिंह पतनि रविन्द्र प्रताप सिंह, द्वारा रिंग रोड के उत्तर डमरू रास्ते पर दान्दुपुर,गरुड़ लान के बगल में पश्चिम, 3040 वर्गफीट वार्ड-शिवपुर, जिला-वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बिना लगभग ऊ3 पर निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर 30प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 (i) व 28 (ii) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी, निर्माणकर्ता द्वारा वर्तमान में लगभग ऊ3 में निर्माण कर बेसमेंट पर पीलर खड़े करने पर उक्त अनाधिकृत निर्माण को सील कर थाना -शिवपुर की सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया।जोनल अधिकारी श्री सिंह गौरव अवर अभियंता विजय सिंह, मौजूद रहे।

तरूणमित्र न्यूज–दि0 19.12.2024

साइबर सुरक्षा जागरुकता अब वैकल्पिक नहीं है यह हम सभी की जिम्मेदारी है : सीपी मोहित अग्रवाल

- पछतावे से बेहतर है जागरुकता, ताकि डिजिटल अपराधों को रोका जा सके : वीसी पुलकित गर्ग
- ज्ञान और डिजिटल उपकरणों से हम राष्ट्र के सुरक्षा ढांचे को कर सकते हैं मजबूत : सीओओ सुनीत मदान

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी पुलिस और पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पिरामल फाइनेंस) ने लोगों को वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए एक संयुक्त पहल सबकी नीयत साफ नहीं होती% शुरू की है। जैसे-जैसे डिजिटल लेन-देन बढ़ रहे हैं, धोखाधड़ी की रणनीति भी जटिल होती जा रही है। इसे ध्यान में रखते हुए शुरू की गई यह पहल वाराणसी और पूरे देश के लोगों को सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक जानकारी और सतर्कता से सशक्त बनाने पर केंद्रित है।

यह जागरूकता अभियान 18 दिसंबर, से वाराणसी के विभिन्न स्थानों पर 10 दिनों तक चलेगा। इसमें जागरुकता संबंधी संदेश फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया अभियान, वीडियो, बैनर, पोस्टर और अन्य आकर्षक गतिविधियाँ शामिल होंगी।कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल, वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग, डीसीपी गोमती जोन, हैड क्वार्टर और क्राइम प्रमोद कुमार, एडीसीपी क्राइम श्रुति श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर पिरामल फाइनेंस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुनीत मदान और हैड-मार्केटिंग अरविंद अय्यर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।अभियान के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा, डिजिटल लेनदेन के व्यापक उपयोग ने सभी के जीवन को बहुत सुविधापूर्ण तो बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही नए जोखिम भी सामने आए हैं। साइबर सुरक्षा जागरुकता अब वैकल्पिक नहीं है यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम व्यक्तियों और परिवारों को साइबर धोखाधड़ी के भावनात्मक और वित्तीय प्रभाव से बचाएं।

वाराणसी पुलिस और पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साइबर जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद सीपी मोहित अग्रवाल, सुनीत मदान, अरविन्द अय्यर, पुलकित गर्ग, प्रमोद कुमार, श्रुति श्रीवास्तव व अन्य

वाराणसी के मण्डलायुक्त कौशल राज ने अपने भेजे संदेश में कहा की आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में, डिजिटल लेनदेन के तेजी से बढ़ने से बेजोड़ सुविधा तो मिली है, लेकिन साथ ही इस सिस्टम की अनेक खामियां भी सामने आई हैं। शिक्षा और सहयोग के माध्यम से साइबर खतरों के खिलाफ सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा दें। वाराणसी पुलिस के गोमती जोन के डीसीपी हैडक्वार्टर और क्राइम प्रमोद कुमार ने कहा, डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर तेज़ी से बदलाव ने हमारे जीने और लेन-देन के तरीके को बदल दिया है, लेकिन इसने हमें महत्वपूर्ण साइबर खतरों के प्रति भी सतर्क किया है। वित्तीय धोखाधड़ी अक्सर जागरूकता की कमी का फायदा उठाती है, और यह महत्वपूर्ण है कि हम इस चुनौती का सक्रिय रूप से समाधान करें। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कहा, पछतावे से बेहतर है जागरुकता। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वे साइबर अपराधों के बारे में जागरुकता फैलाएं ताकि ऐसे अपराधों को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।वाराणसी पुलिस की एडीसीपी क्राइम श्रुति श्रीवास्तव ने कहा, वाराणसी में डिजिटल लेनदेन को अपनाने की गति बढ़ रही है, लेकिन यह कनेक्टिविटी साइबर धोखाधड़ी जैसे जोखिम भी लाती है जो वित्तीय नुकसान और भावनात्मक तनाव दोनों का कारण बन सकती है। यह पहल हमारे नागरिकों के बीच साइबर सुरक्षा जागरूकता की एक मजबूत नींव बनाने के बारे में है। पिरामल फाइनेंस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुनीत मदान ने कहा नागरिकों को साइबर खतरों को पहचानने और रोकने के लिए ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाकर, हम न केवल व्यक्तियों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि हमारे राष्ट्र के समग्र डिजिटल सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत कर रहे हैं। साथ मिलकर, हम एक डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत का निर्माण कर सकते हैं, जहाँ प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रूप से इंटरनेट का उपयोग कर सके। पिरामल फाइनेंस के मार्केटिंग हैड अरविंद अय्यर ने कहा, साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए हमें वाराणसी साइबर अपराध शाखा के साथ हाथ मिलाकर खुशी हो रही है। साझा तौर पर हमारा लक्ष्य नागरिकों को डिजिटल खतरों से खुद को बचाने के लिए जागरूक करना और ज्ञान का एक मजबूत आधार तैयार करना है। साइबर साक्षरता को बढ़ाकर, हमारा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जो आत्मविश्वास के साथ डिजिटल प्रगति को अपना सके। इसी तरह की जागरूकता पहल गुजरात और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में भी शुरू की गई है।